भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न सं. 209
गुरूवार, 04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

राज्य पर्यटन निगमों को पुनरूज्जीवित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता

209. श्री के.आर.एन. राजेश कुमारः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों/निगमों समेत देश में पर्यटन उद्योग अत्यधिक प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास राज्य पर्यटन निगमों की सहायता करने और उन्हें पुनरूज्जीवित करने के लिए विशेष योजनाओं और केंद्रीय वित्तीय सहायता समेत कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो राज्य पर्यटन विभागों को यह केंद्रीय सहायता कब तक संवितरित की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

राज्य पर्यटन निगमों को पुनरूज्जीवित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के संबंध में दिनांक 04.08.2022 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 209 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (घ) : जी, हां महोदय । यह वास्तविकता है कि कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन उद्योग देश में सर्वाधिक प्रभावित रहा है । भारत सरकार ने अनेक वित्तीय और गैर-वित्तीय राहत उपायों की घोषणा की है जिनके इस संकट से उबरने में पर्यटन उद्योग के लिए सहायक होने की आशा है । इन उपायों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' और तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत सवंर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' योजनाओं के तहत देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा संपूर्ण परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है । यह एक सतत प्रक्रिया है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन और पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग की शर्त पर परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती है । विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को इन योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रस्तावों और जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध ।

राज्य पर्यटन निगमों को पुनरूज्जीवित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के संबंध में दिनांक 04.08.2022 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 209 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

कोविड के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र के पुन: विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय राहत उपाय निम्नलिखित हैं:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी ।

ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है ।

iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ ।

iv. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया ।

v. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन ।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है ।

vii. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की है । आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। आतिथ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त संचयी निधि का प्रावधान भी किया गया है । ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2023 तक या 5 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है ।

viii. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को सर्विस एक्स्पोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है । इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था । सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी ।

ix. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की । पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं ।

x. पर्यटन मंत्रालय ने 'कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र हेतु ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)' की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य अपनी देयताओं को पूरा करने और कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यवसाय को दोबारा शुरू करने में संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र की सहायता के लिए उन्हें कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंटों/पर्यटन ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स में से प्रत्येक 10.00 लाख तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइडों में से प्रत्येक 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्राप्त कर सकता है । यह योजना पहले से ही 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रचालनरत है । इस योजना की वैधता अवधि एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक अथवा इस योजना के तहत 250.00 करोड़ रु. की गारंटी जारी होने तक के लिए बढ़ा दी गई है ।

xi. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके ।

xii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।

xiii. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है ।

xiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है । विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।

xv. देश में इनबाउंड पर्यटन को बहाल करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों के विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा नि:शुल्क प्रदान किए हैं । पहले 5 लाख पर्यटक वीजा जारी किए जाने के दौरान नि:शुल्क वीजा का लाभ किसी एक पर्यटक को एक ही बार मिलेगा ।

xvi. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है ।

xvii. गृह मंत्रालय ने दिनांक 15 मार्च, 2022 से 156 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए ई-पर्यटक वीजा बहाल कर दिया है । इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में व्यापक वैक्सीन कवरेज को देखते हुए और हितधारकों के परामर्श से भारत सरकार ने दिनांक 27 मार्च, 2022 से भारत से आवागमन के लिए अधिसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएं बहाल कर दी हैं ।

*****

अनुबंध ।।

राज्य पर्यटन निगमों को पुनरूज्जीवित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के संबंध में दिनांक 04.08.2022 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 209 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

स्वदेश दर्शन योजना

योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**स्वदेश दर्शन**			
		परियोजनाओं की संख्या	**स्वीकृत राशि**	**निर्मुक्त राशि**	**उपयोग की गई राशि**
1.	आंध्र प्रदेश	3	141.53	141.77	134.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	146.49	139.16	124.05
3.	असम	2	185.66	176.36	157.68
4.	बिहार	5	266.9	238.5	220.06
5.	चंडीगढ़	1	96.10	84.81	84.81
6.	गोवा	2	197.00	187.14	187.14
7.	गुजरात	3	176.22	165.74	153.22
8.	हरियाणा	1	70.91	77.88	69.53
9.	हिमाचल प्रदेश	1	77.43	64.55	60.80
10.	जम्मू एवं कश्मीर	6	520.35	430.48	360.14
11.	झारखण्ड	1	34.12	26.37	15.01
12.	कर्नाटक	0	0	0	0
13.	केरल	5	410.89	182.66	143.58
14.	मध्य प्रदेश	4	350.55	324.14	316.9
15.	महाराष्ट्र	2	66.59	42.11	38.49
16.	मणिपुर	2	117.56	104.36	104.16
17.	मेघालय	2	184.1	145.12	129.68
18.	मिजोरम	2	158.63	137.18	137.18
19.	नागालैंड	2	195.5	185.73	176.81
20.	ओडिशा	1	70.82	63.56	52.95
21.	पंजाब	1	90.05	61.89	42.15
22.	राजस्थान	4	283.47	246.27	241.13
23.	सिक्किम	2	193.37	177.95	177.73
24.	तमिलनाडु	1	73.13	69.48	68.59
25.	तेलंगाना	3	268.39	233.53	191.65
26.	त्रिपुरा	2	133.23	81.97	74.86
27.	उत्तर प्रदेश	8	485.73	439.08	383.72
28.	उत्तराखण्ड	2	145.49	133.33	133.33
29.	पश्चिम बंगाल	1	67.99	68.31	64.96

30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	27.57	20.89	12.29
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0
32.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0
33.	दमन एवं दीव	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36.	पुदुच्चेरी	3	148.31	136.69	126.45
37.	मार्गस्थ सुविधाएं (उत्तर प्रदेश और बिहार)	1	15.07	12.29	12.29
	कुल	**76**	**5399.15**	**4599.3**	**4195.97**

प्रसाद योजना **(करोड़ रु. में)**

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजना की संख्या**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**अनुमोदित लागत**	**जारी की गई राशि**
जारी परियोजनाओं की सूची						
1.	आंध्र प्रदेश	1	पर्यटक गंतव्य के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास**	2015-16	27.77	27.77
		2	श्रीसैलम मंदिर का विकास**	2017-18	43.08	43.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	लोहित जिले में परशुराम कुंड का विकास	2020-21	37.88	7.34
3.	असम	4	गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर और इसके आस-पास तीर्थ गंतव्य का विकास**	2015-16	29.80	29.80
4.	बिहार	5	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास**	2014-15	4.27	2.91
		6	पटना साहिब का विकास**	2015-16	41.54	33.23
5.	छत्तीसगढ़	7	मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर, राजनंदगांव, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ का विकास	2020-21	43.33	21.45
6.	गुजरात	8	द्वारका का विकास**	2016-17	13.08	10.46
		9	सोमनाथ में तीर्थस्थल सुविधाएं**	2016-17	45.36	45.36
		10	प्रशाद योजना के अन्तर्गत सोमनाथ में प्रोमिनेड का विकास**	2018-19	47.12	44.76
		11	सोमनाथ, गुजरात में क्यू मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ तीर्थयात्रा प्लाजा का विकास	2021-22	49.97	केवल प्रशासनिक अनुमोदन 10.03.22
7.	हरियाणा	12	पंचकुला जिले में नाडा साहेब गुरुद्वारा और माता मनसा देवी मंदिर का विकास	2019-20	49.52	28.77
8.	जम्मू और कश्मीर	13	हजरतबल का विकास	2016-17	40.46	32.37

9.	झारखंड	14	वैद्यनाथजी धाम, देवघर का विकास	2018-19	39.13	31.23
10.	केरल	15	गुरूवायुर मंदिर का विकास**	2016-17	46.14	36.91
11.	मध्य प्रदेश	16	ओंकारेश्वर का विकास	2017-18	44.83	35.87
		17	अमरकंटक का विकास	2020-21	49.99	4.86
12.	महाराष्ट्र	18	त्रिम्बकेश्वर का विकास	2017-18	52.92	24.23
13.	मेघालय	19	मेघालय में तीर्थस्थल सुविधाओं का विकास	2020-21	29.32	8.80
14.	नागालैंड	20	नागालैंड में तीर्थस्थल अवसंरचना का विकास	2018-19	25.26	20.06
15.	ओडिशा	21	मेगा परिपथ के तहत पुरी, श्री जगन्नाथधाम - रामचंडी देवली में प्राची रिवर फ्रंट में अवसंरचना विकास	2014-15	50.00	10.00
16.	पंजाब	22	अमृतसर में करूणा सागर वाल्मिकी स्थल का विकास**	2015-16	6.40	6.40
		23	रोपड़ पंजाब में चमकौर साहिब का विकास	2021-22	31.57	केवल प्रशासनिक अनुमोदन 10.03.22
17.	राजस्थान	24	पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास	2015-16	32.64	26.11
18.	सिक्किम	25	युकसोम में चार संरक्षक संतों पर तीर्थ सुविधा का विकास	2020-21	33.32	18.50
19.	तमिलनाडु	26	कांचीपुरम का विकास**	2016-17	13.99	13.99
		27	वेलंकन्नी का विकास**	2016-17	4.86	4.86
20.	तेलंगाना	28	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर का विकास	2020-21	36.73	10.27
21.	त्रिपुरा	29	त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर, उदयपुर का विकास	2020-21	37.80	18.42
22.	उत्तराखंड	30	केदारनाथ का एकीकृत विकास**	2015-16	34.77	34.77
		31	प्रशाद योजना के तहत बद्रीनाथ जी धाम (उत्तराखण्ड) में तीर्थयात्रा सुविधा हेतु अवसंरचना विकास	2018-19	56.13	20.79
		32	प्रशाद योजना के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रा अवसंरचना सुविधाओं का संवर्द्धन	2021-22	54.36	14.06
23.	उत्तर प्रदेश	33	मेगा पर्यटक परिपथ (चरण-।।) के रूप में मथुरा-वृंदावन का विकास**	2014-15	14.93	10.38
		34	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण**	2014-15	9.36	9.36
		35	वाराणसी का विकास – चरण-I**	2015-16	20.40	16.32
		36	गंगा नदी, वाराणसी में क्रूज पर्यटन	2017-18	10.72	8.57

		37	प्रशाद योजना – चरण II के अन्तर्गत वाराणसी का विकास	2017-18	44.60	31.77
		38	गोवर्धन, मथुरा उत्तर प्रदेश में अवसंरचना सुविधाओं का विकास	2018-19	39.74	30.97
24.	पश्चिम बंगाल	39	बेलूर का विकास	2016-17	30.03	23.39
			कुल		**1323.16**	**798.19**

** परियोजना का भौतिक निष्पादन पूरा हो गया है ।

*****